— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अतः मौजा मौजा जालनियासार तहसील जायल में खेत खसरा नं. 147/315, 116, 104/3, 141, 117/306 विवादग्रस्त खेतायों की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सुखदेव के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जालनियासार का खेत खसरा नंबर 147/315 रकबा 2.5900 हैक्टेयर मेंसे 1.6727 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार, खेत खसरा नंबर 116 रकबा 1.0846 में से 0.6718 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार , खसरा नंबर 104/3 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से 0.5935 हैक्टेर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी शिम्भुराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जालनियासर का खेत खसरा नंबर 147/315 रकबा 2.5900 हैक्टेयर मेंसे 0.9173 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार, खेत खसरा नंबर 116 रकबा 1.0846 में से 0.3845 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार , खसरा नंबर 104/3 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से 0.5935 हैक्टेर माफिक नजरीनक्शानुसार , खेत खसरा नंबर 141 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से 0.7554 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार , खेत खसरा नंबर 117/306 रकबा 0.9874 हैक्टेयर में से 0.2873 हैक्टैयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी छोटुराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जालनियासर का खसरा नंबर 104/3 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से 0.5936 हैक्टेर माफिक नजरीनक्शानुसार , खेत खसरा नंबर 141 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से 1.6727 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार , खेत खसरा नंबर 117/306 रकबा 0.9874 हैक्टेयर में से 0.6718 हैक्टैयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कमश सुखदेव, शिम्भुराम, छोटुराम के सामालाती हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा जालनियासर के खेत खसरा नंबर 116 रकबा 1.0846 हैक्टैयर में से 0.0283 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार एवं खेत खसरा नंबर 117/306 रकबा 0.9874 हैक्टेयर में से 0.0283 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार भूमि रास्ते हेतु रखी गई है।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव एवं नजरीनक्शे निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)

निर्णय आज दिनांक 28/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner